

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(138)RSSB/अर्थना/का.वि./प्रहरी/भर्ती/2024/

दिनांक : 11.12.2024

विज्ञापन सं. 17/2024

प्रहरी सीधी भर्ती-2024

बोर्ड द्वारा कारागार विभाग के लिये राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत प्रहरी के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 759 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 44 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्याधीन ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	विभाग का नाम	भर्ती सेवा नियम/उपविधियों जिनके तहत पदों की भर्ती की जानी है	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	कारागार विभाग	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998	प्रहरी	759	44	803

विशेष नोट :-

NewsforSpecialTeacher.in

- अभ्यर्थी उक्त पदों पर चयन के बाद जिस मण्डल में यथा जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापन चाहता है, उसे संबंधित मण्डल की वरीयता/प्राथमिकता पदों के लिये आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम में भरना अनिवार्य होगा। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र का विकल्प नहीं भर सकेंगे। विभाग द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डलों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता के क्रम (Merit Cum Priority) के आधार पर किया जावेगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में ध्यानपूर्वक मण्डलों की प्राथमिकता क्रम भरें। इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत/असत्य सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया:-बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form माध्यम से ही प्राप्त किये जाएंगे जिन्हें राज्य के अधिकृत/निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी **विस्तृत विज्ञापन** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- ऑनलाईन ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल <http://rssb.rajasthan.gov.in> पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link का Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login करने के उपरान्त Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी (Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH)) श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आवेदन पत्र भरने के लिए अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो (01 माह से अधिक पुरानी न हो) अपलोड की जानी आवश्यक है।



Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:55:48 IST
Reason: Approved

अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्टेयित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

22. प्रहरी के उक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :- प्रहरी के उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम निम्नानुसार है :-

(1) प्रहरी परीक्षा की स्कीम (Exam scheme)

प्रश्न-पत्र	प्रश्न संख्या	कुल अंक	समय
1. विवेचना एवं तार्किक योग्यता	45	180	2 घण्टे
2. सामान्य ज्ञान/सामान्य विज्ञान/सामाजिक विज्ञान एवं सम-सामयिक	25	100	
3. राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि	30	120	
कुल योग	100	400	

नोट :-

- 1- Objective Type Question Paper.
- 2- maximum Marks: 400
- 3- Number of Questions:100
- 4- Duration of Paper: Two Hours.
- 5- Each Question will carry 4 Marks.
- 6- Negative Marking 1 Mark will be deducted for each wrong answer.
- 7- The minimum qualifying marks shall be 36%.
- 8- Any question/queries related to the syllabus up to 10th Class can be asked.

पाठ्यक्रम (Syllabus)

क्र.स.	विषय विवरण
I	विवेचना एवं तार्किक योग्यता: तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यताएं: कथन और परिकल्पनाएँ, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही, संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, बे-सेल, दूँडना, काजि-रियासिद्धि, सच्यों, मि और उनके उप विभाजन से संबंधित समस्याएं इत्यादि

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:55:48 IST
Reason: Approved

	Logical and analytical qualification: statement and assumptions, statement and argument, statement and conclusion, statement and action, number series, letter series, finding the odd, coding-decoding, relations, pictures and their subdivided related problems etc.
II	प्रमुख सम-सामयिक घटनाएँ: खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधी मुद्दे इत्यादि। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे प्रसिद्ध व्यक्तित्व राज्य, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि। Major current events: 1. Issues related to sports, politics, economy, social, geographical, cultural, ecological and technical fields etc. 2. State & national issues. 3. Famous personalities. 4. State, national program and policy etc. सामान्य विज्ञान: भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक प्रकाश का परावर्तन एवं नियम आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली मानव शरीर: संरचना, अंग तंत्र प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन General Science: 1. Physical and chemical changes. 2. Metals, non-metals and major compounds. 3. Reflection and laws of light. 4. General terminology related to genetics. 5. Human body: structure, organ systems. 6. Major human diseases, causes and diagnosis, waste management. आपदा प्रबन्धन एवं जलवायु परिवर्तन: आपदा प्रबन्धन: परिचय, वर्गीकरण(प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएँ) आपदा प्रबन्धन और जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका और कार्यात्मक रूपरेखा। आपदा प्रबन्धन रणनीतियाँ और उपाय —आपदा प्रबन्धन और जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय नीति और योजना। पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव वनों की कटाई, प्रदूषण, संसाधनों का अतिदोहन, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव और जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण Disaster Management & Climate Change: 1. Disaster management: introduction, classification (natural and man-made disasters). 2. Role and functional framework of national and international agencies working for the cause of disaster management and climate change. 3. Disaster management: strategies and measures. -national policy and plan for disaster management and climate change. 4. Human impacts on the environment: deforestation, pollution, overexploitation of resources, impact ecosystems and biodiversity conservation & environmental protection.

RajKaj Ref
12376582

Signature valid

Digitally signed by Bhagy Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:55:48 IST
Reason: Approved

	भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष सन्दर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था: 1- संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण 2- सूचना का अधिकार अधिनियम इत्यादि। 3- राज्य शासन एवं राजनीति: राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, विधानसभा तथा न्यायपालिका 4- राज्य का प्रशासनिक ढांचा: मुख्य सचिव, जिला प्रशासन (सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन), जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा Indian Constitution and political and administrative system with special reference to the state of Rajasthan: 1. Introduction and basic features of the Constitution. 2. Right to Information Act etc. 3. State governance and politics - Governor, Chief Minister and Cabinet, Legislative Assembly and Judiciary. 4. Administrative structure of the state: Chief Secretary, District Administration (General Administration and Police Administration), Judicial Structure at the District Level.
III	राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति: ऐतिहासिक घटनाएँ, स्वतंत्रता आन्दोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले और त्यौहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की इस्तिर्थाँ इत्यादि। History, Art and Culture of Rajasthan Main historical events, freedom movement, integration, important personalities, language and literature, folk culture and social life, costumes, musical instruments, folk deities, folk literature, dialects, fairs & festivals, ornaments, folk art, architecture, folk music, dance, theatres, tourist places and monuments, celebrities of Rajasthan from historical and cultural point of view etc.
	भूगोल: राजस्थान:- स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ व वन संरक्षण जलवायु जल संसाधन, अपवाह तंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ, जनसंख्या: आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग इत्यादि। Geography: Rajasthan- location, extent, physiography and physical division, soil, natural vegetation and forest conservation, climate, water resource, drainage system and lakes, major irrigation projects, population- size, growth, distribution, density, sex ratio and literacy, transport of Rajasthan & state road etc.
	अर्थशास्त्र- राजस्थान: ग्रामीण विकास, राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की भूमिका, राज्य की अर्थव्यवस्था- विशेषताएँ और समस्याएँ, राज्य की आय, बजट की अवधारणा, राज्य की अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ इत्यादि। Economics-Rajasthan: Rural development, Role of industry, agriculture, animal husbandry and mineral sector in the development of the state, State economy- features and problems, State income, concept of budget, Challenges before state economy etc.

RajKaj Ref
12376582

Signature valid

Digitally signed by Bhagy Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:55:48 IST
Reason: Approved

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में पाँचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं :-

1. प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।
Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।
It is mandatory to fill only one of the options for each question.
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जावेंगे।
If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा।
After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को किन्हीं पाँच गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।
A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.

NewsforSpecialTeacher.in

23. बोर्ड की वेबसाइट:- अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(डॉ. बी.सी. बधाल)
सचिव

RajKaj Ref
12376582

Signature valid

Digitally signed by Bhagy Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:55:48 IST
Reason: Approved